मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

भोपाल दिनांक 07 मई, 2009

क्रमांक : एफ 11-2/2009/नियम/चार

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन
समस्त विभाग

विषय- मंत्रि-परिषद को प्रस्तुत की जाने वाली संक्षेपिकाओं पर वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त करने के संबंध में ।

संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ ए 1-7/99/एफ (1) दिनांक 27 जुलाई, 1999.

--00--

विभिन्न विभागों द्वारा लिये जाने वाले नीतिगत निर्णयों से संबंधित मामलों में मंत्रि-परिषद को संक्षेपिका प्रस्तुत किये जाने संबंधी प्रक्रिया मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियमों में उल्लेखित है । इस संबंध में यह तथ्य ध्यान में आया है कि कई विभागों द्वारा वित्तीय प्रभाव रखने वाले मामलों के परिप्रेक्ष्य में भी मंत्रि-परिषद को प्रस्तुत संक्षेपिकाओं में वित्त विभाग का अभिमत उल्लेखित नहीं किया जाता । कुछ मामलों में प्रशासकीय विभागों द्वारा यह तर्क भी दिया जाता है कि प्रकरण परियोजना परीक्षण समिति (P.S.C.) अथवा व्यय वित्त समिति (E.F.C.) द्वारा अनुमोदित होने से पृथक से वित्त विभाग की सहमति आवश्यक नहीं है । यह स्थिति सही नहीं है । मंत्रि-परिषद को प्रस्तुत होने वाली संक्षेपिका पर वित्त विभाग का अभिमत आवश्यक होता है जो मान. वित्त मंत्रीजी के अनुमोदन से ही प्रदान किया जा सकता है । इसके लिए प्रकरण की संक्षेपिका वित्त विभाग को भेजना आवश्यक है ।

अतः अनुरोध है कि मंत्रि-परिषद को प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त प्रकरणों, जिनमें वित्तीय प्रभाव निहित है, में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये वित्त विभाग का अभिमत आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाय ।

2/ राज्य में गठित कुछ समितियों को विशिष्ट मामलों में मंत्रि-परिषद के समान अधिकार प्राप्त हैं जैसे- शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति, नर्मदा घाटी नियंत्रण मंडल आदि । ऐसी समिति/मंडल आदि के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के लिये भी कार्य नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है, क्योंकि इन्हें मंत्रि-परिषद् के समान अधिकार प्राप्त हैं । अतः इन समिति/मंडल आदि को प्रकरण प्रस्तुत करने के पूर्व उन पर भी मंत्रि-परिषद के प्रकरणों के समान वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त किया जाना चाहिये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

sunita/19/paripatr//

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-2/2009/नियम/चार

भोपाल दिनांक 07 मई, 2009

प्रतिलिपि

1. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल ।

(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

sunita/20/paripatr//